रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042023-245323
CG-DL-E-22042023-245323

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1738] **नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 21, 2023/वैशाख 1, 1945**
No. 1738] **NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 21, 2023/VAISAKHA 1, 1945**

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2023

का.आ. 1820(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन(भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 3894(अ), दिनांक- 28 अक्टूबर 2020, भारत के राजपत्र सं॰-3438 दिनांक-29 अक्टूबर 2020, में प्रकाशित की गई थी, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उत्तर प्रदेश राज्य में "कांडला-गोरखपुर एल.पी.जी पाइपलाइन परियोजना हेतु तहसील-फूलपुर, जिला-प्रयागराज, राज्य-उत्तर प्रदेश में एल.पी.जी के परिवहन हेतु आई.एच.बी. लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को दिनांक- 22 दिसम्बर-2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी,

और श्री राकेश कुमार सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमे उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आई.एच.बी.लिमिटेड में निहित होगी,

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम,1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी. लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला - प्रयागराज		**राज्य - उत्तर प्रदेश**			
तहसील	**गाँव**	**सर्वे नं**	**क्षेत्रफल**		
			हेक्टेयर-	**एयर-**	**वर्ग मीटर**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
फूलपुर	खोदायपुर उर्फ कसगाँव	160	00	06	13
फूलपुर	जगबन्धनपुर	340	00	03	45
		304	00	10	51

[फा. सं. आर-11025(15)/6/2020-ओआर-I - भाग(1)/ई-45874]
पी. सोमा कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2023

S.O. 1820(E).—Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S. O. No 3894 (E) Dated 28 October 2020 published in the Gazette of the India Gazette No 3438 dated 29 October 2020 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Kandla-Gorakhpur LPG Pipeline Project” for the transportation of LPG in Tehsil- Phulpur, District-Prayagraj in the state of Uttar Pradesh by IHB Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 22 December 2020 and whereas the Shri Rakesh Kumar Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of this declaration in IHB Limited, free from all encumbrances.

IHB Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would be against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

Schedule

District : Prayagraj		**State : Uttar Pradesh**			
Tehsil	**Village**	**Survey No.**	**Area**		
			Hect.-	**Are -**	**Sq. mtr.**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Phulpur	Khodaypur Urf Kasgaon	160	00	06	13
Phulpur	Jagbandhanpur	340	00	03	45
		304	00	10	51

[F. No. R-11025(15)/6/2020-OR-I-Part(1) / E-45874]
P. SOMA. KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA